



केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत गोद लिए गए बच्चों को माता-पिता द्वारा विदेश में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया (17.09.2021 के उपरांत)

01

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का गृह अध्ययन (Home Study) और उनका अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना।

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करना। 02

03

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को अपलोड करना। (अनुसूची XXI और अनुसूची XXXVI)

प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण (AFAA) / केंद्रीय प्राधिकरण (CA) / भारतीय राजनयिक मिशन (IDM) द्वारा हेग अभिसमय के अनुच्छेद 5/17 के अनुसार निर्धारित पत्र को अपलोड करना। 04

05

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण विलेख को अपलोड करना।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र (Verification Certificate) जारी करना और उसे अपलोड करना। (अनुसूची XXXV एवं अनुसूची XXXVI) 06

07

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और पुष्टि प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) जारी करना।

❖ ❖ ❖

संदर्भ: दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय VIII (विनियम 64-71)

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>

PROCEDURE FOR CHILDREN ADOPTED UNDER HAMA, 1956 BY PARENTS WHO DESIRE TO RELOCATE THE CHILD ABROAD (POST 17.09.2021)

01 Home Study & registration of NRI/OCI PAPs on Designated Portal by
AFAA/CA/IDM

Initial Scrutiny of documents by CARA **02**

03 DCPU uploads Family Background Report (Schedule XXI & Schedule
XXXVI)

AFAA/CA/IDM uploads documents as per Article 5/ 17 of Hague **04**
Convention

05 DCPU uploads Adoption Deed

DM issues & uploads Verification Certificate (Schedule XXXV &
Schedule XXXVI) **06**

07 CARA issues NOC and Conformity Certificate

❖ ❖ ❖

Reference: Chapter VIII (Regulation 64-71) of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

AFAA - Authorised Foreign Adoption Agency | CA : Central Authority | CARA : Central Adoption Resource Authority
DCPU : District Child Protection Unit | DM : District Magistrate | IDM : Indian Diplomatic Mission | NOC : No Objection Certificate
NRI : Non Resident Indian | OCI : Overseas Citizen of India | PAPs : Prospective Adoptive Parents

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]
CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]
ईमेल / E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>